OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECT.), MUNICIPAL CORP. KOTA

H-SCHEDULE

Estimate: No. 04/17-18 **Processing Fee – 500/-**

Amount: 10.63 Lakhs.

Earnest Money: 21260/-

Tender Cost: 1500/-

Name of work:- Annual Rate Contract of regular operation & maintenance with material of garden lights of Main Zone Garden, Chambal Garden, Gandhi Udhyan, Yatayat Park, Bhitriya kundh. (For Two Year)

Name & Address of Tenderer ………………………………..……………………………………….

DD. No.Tender Cost ……………… E.M. ………………………P/Fee...

S.No.	Particulars	Qty.	Rate Per Month	Unit	Amount
1.	Annual Rate Contract of regular operation & maintenance of existing garden light points of different parks with concerning material Main Zone Garden, Chambal Garden, Gandhi Udhyan, Yatayat Park, Bhitriya kundh completely in all respect as follows. (For Two Year)				
	(a) Post Top lights C.F.L.11/15/20W/ L.E.D. light	550 Nos.		Each	
	(b) Sodium lights/ metal-halide light 70/150/250W	220 Nos		Each	
	(c) Flood lights/Mercury light (sodium/ metal-halide single/doubleEnded) 70/150/250W/400W/L.E.D Light All type (Flood lights & Street light) & All Watts.	200 Nos		Each	
	(d) Tube light fixtures 40 W	20 Nos.		Each	
	Total Per Month				
	(TwoYear) One MonthX24 =				

Terms & Conditions – Enclosed – 3

EXECUTIVE ENGINEER(ELECT.)
MUNICIPAL CORPORATION
KOTA.

Signature Of Tenderer
……………………...

पार्को की लाईट रख रखाव मय सामानो के वार्षिक रेट कॉन्ट्रेक्ट की शर्ते–

क्र.स.	शर्ते
1.	संवेदक को स्वंय के स्तर पर कार्यालय खोलकर शिकायते दर्ज करनी होगी, तथा स्वमोटो लाइटें ठीक रखनी होगी एवं उसका प्रतिनिधि प्रतिदिन संबंधित लाईट कन्ट्रोल रूम से शिकायतें प्राप्त करेगा, तथा शिकायतो के निस्तारण की दैनिक रिपोर्ट सम्बन्धित कन्ट्रोल रूम पर देगा।
2.	सभी शिकायतों का निवारण शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 12 घण्टे में किया जाना आवश्यक है। 12 घण्टे के बाद लाईट बन्द पायी जाने पर 12/–रूपये प्रति ट्यूब लाईट, 30/– रूपये प्रति सोडियम /मर्करी/मेटल हेलाइड फिटिंग /फ्लड लाईट, व 40/–प्रति सी.एफ.एल. लाईट, प्रति दिन भाास्ती होगी, भाास्ती लगाने का आधार शिकायत रजिस्ट्रर मे दर्ज शिकायते, विद्युत कर्मियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाये गये बन्द प्वाइन्टस होगें। उक्त कटौती लाइटस ठीक कर, सूचित करने तक निरन्तर जारी रहेगी।
3.	पार्को के लाईट प्वाइन्टस, जैसी भी स्थिति है, के आधार पर मैन्टीनेन्स हेतु स्थानान्तरण किये जावेगें, तथा वर्तमान गणना के अनुसार कुल पॉयन्टस का भुगतान किया जावेगा, निविदा प्रपत्र में दी गई संख्या घट/बढ सकती हैं।
4.	संवेदक द्वारा जो भी सामान लाइट रख रखाव हेतु प्रयुक्त किया जावेगा उसका मेक,कम्पनी व स्पेशिफिकेशन पी.डब्लू.डी बी.एस.आर. 2013 ई–ग्रुप–1 के अनुसार होगा। चेक करने पर अगर पी. डब्लू.डी बी.एस.आर. 2013 ई–ग्रुप–1 के अनुसार सामान नही लगा पाया गया तो निगम अधिकारियों द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा।
5.	सभी प्रकार के फिक्चर्स के कवर की सफाई वर्ष मे दो बार मई व अक्टूबर मे करनी होगी। कवर को साफ नही करने अथवा किसी भी कवर मे गन्दगी पाये जाने पर शास्ती 10/– प्रति कवर होगी।
6.	कार्य स्वीकृत होने के तत्काल प चात 5 प्रतिशत एस.डी. राशि व अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा।
7.	लाइट के स्विच समय पर बन्द व चालू कराने की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। स्विच समय पर बन्द व चालू नही किये जाने पर 200/– प्रतिदिन प्रति स्विच शास्ति लगाई जा सकेगी।
8.	पार्को की लाइट मैन्टीनेन्स हेतु निगम की स्काई लिफ्ट निगम से रू0 1100/– प्रतिदिन आठ घंटे के लिये किराये पर ली जा सकती हैं।
9.	प्रत्येक लाईट फिटिंग (फिक्चर्स) की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी लाईट फिटिंग के चोरी चले जाने अथवा असुरक्षा के कारण टूट फूट होने पर हानि का पुनर्भरण संवेदक को करना होगा, एवं संवेदक को एफ.आई.आर.दर्ज करानी होगी। संवेदक को अपने स्तर पर नई लाइट लगानी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
10.	विद्युत कार्य में प्रशिक्षित कर्मचारी ही लगाने होगें। संवेदक द्वारा कार्य पर नियोजित कर्मचारियों के समस्त विधिक क्षतिपूर्ति /दुघर्टना संबंधी दायित्वो के प्रति स्वंय उतरदायी होगे। श्रम नियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम वेतन भुगतान अधिनियम प्रावधायी निधि/बीमा योजना सम्बन्धी सभी दायित्व संवेदक के होगे। नगर निगम कोटा संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नही होगा।
11.	दिन में लाईट न जले, इसके लिए समुचित व्यवस्था स्वंय संवेदक को करनी होगी। दिन मे लाईटे जली रहने की शिकायतें प्राप्त होने के आधा घण्टे के अन्दर बन्द करना होगा,अन्यथा शास्ति लगाने का अधिकार नगर निगम कोटा को होगा। लाइटें चालू की शिकायत पर 500/– शास्ती प्रति पार्क होगी।
12.	संवेदक के पास टेलीफोन/ 2 मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है। जिसका मालिक एवं प्रबन्धक का नं. विद्युत अनुभाग में ,उपलब्ध कराना होगा एवं संवेदक को 24 घंटे अनुभाग से सम्पर्क /कनैक्टीविटी रखनी होगी।
13.	संवेदक द्वारा ठेके अवधि के दौरान बीच में पार्क लाईट ठेके का कार्य स्वंय द्वारा छोडा जाता है तो

	संवेदक की जमाशुदा एस.डी राशि जब्त करली जावेगी, एव पुनः ठेके होने तक निगम को होने वाले नुकसान की अन्तर राशि रिस्क एण्ड कोस्ट संवेदक से वसूल की जा सकेगी।
14.	ठेका समाप्ति के दिवस पर पार्क अनुसार 95 प्रतिशत लाईटे चालू हालत में हस्तान्तरित करनी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये नुकसान की भरपाई संवेदक से की जा सकेगी।
15.	अगर केबल आदि जल जाती है, तो इसकी सूचना कार्यालय में देनी होगी। नई केबल डलवाने तक संवेदक को वेकल्पिक व्यवस्था कर लाईटें चालू रखनी होगी। पार्को में पेनल /डी.बी. / जंक्शन बोक्स के ढक्कन हमे ाा बंद रखने होगें । नेक्ड वायर्स कतई नही रखे जावें, भलीभांती टेपिंग करवाई जावें, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जावे, ताकि दुघर्टना से बचा जा सकें। पार्को में पेनल /डी.बी. / जंक्शन बोक्स के ढक्कन खुले रहने अथवा नेक्ड वायर रहने से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
16.	पार्को की लाईट पर किये गये व्यक्तिगत अवैध कनेक्शन चोरी के लिये संवेदक को नगर निगम/जयपुर विद्युत वितरण निगम को सूचित करना होगा एवं इस प्रकार के कनेक्शन को तत्काल काटना होगा।
17.	प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण जैसे की फेज भिडंत, तार ढीले हो जाना व बिजली कडकना आदि कारणो से भी लाइटो को नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत संवेदक द्वारा स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।
18.	संवेदक को रात्रि में इमरजेन्सी कार्य के लिए आवश्यकता पडने पर तुरन्त कार्य का निश्पादन करना होगा।
19.	लाईटो के निरीक्षण हेतु नगर निगम अधिकारियों द्वारा जब भी संवेदक को बुलाया जावेगा तो स्वेदक का उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20.	संवेदक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने कर्मचारियो के परिचय पत्र स्वंय बनायेगें, परिचय पत्र प्राप्त कर्मियो की सूची निगम को देनी होगी।
21.	केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा अगर किसी भी प्रकार का टेक्स लगता है, तो स्वंय ठेकेदार को वहन करना होगा।
22.	विद्युत कार्य करते समय संवेदक कर्मचारी को संभावित दुघर्टना से बचाव के लिए समस्त प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे रबर हैण्ड ग्लोबज, इन्सूलेटेट स्क्रू ड्राईवर्स एवं प्लायर्स एवं सेफ्टी बेल्ट सिड्डी एंव लाइट मैन्टीनेन्स हेतु अन्य संसाधन आदि संवेदक को अपने स्तर पर देना आवश्यक होगा।
23.	संवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर स्टोर रखना होगा जिसका निरीक्षण निगम अधिकारियो द्वारा नियमित अन्तराल पर किया जावेगा, गार्डन लाईट मेन्टीनेन्स में उतारा गया खराब सामान निगम विधुत स्टोर में प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य होगा।
24.	फोन पर संवेदक को दर्ज करायी गयी शिकायत भी 12 घन्टे की सीमा मे मान्य होगी इसको निगम कर्मी द्वारा शिकायत पंजिका मे समय के साथ दर्ज किया जावेगा।
25.	शिकायत दूर होने पर फोन से संवेदक द्वारा दर्ज कराया जा सकता हैं, तथा कार्यालय पंजिका मे भी दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा।
26.	कार्य की समयावधि कार्यादेश तिथि से दो वर्श /आगामी आदेशो तक रहेगी, कार्य संतोशप्रद रहने पर आपसी सहमति से समयावधि एक वर्ष बढायी जा सकती हैं।
27.	आवश्यकता होने पर दोनो पक्षो की सहमति से कार्य क्षेत्र बढाया जा सकता है जिसकी प्रति पोइंट के हिसाब से राशि बढायी जा सकेगी। नई लगने वाली लाइटस की मैन्टीनेन्स का कार्य एक वर्ष पश्चात से संवेदक को संभालना होगा जिसका स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।
28.	कार्य संतोशजनक न पाये जाने पर /बिना कारण बताये ठेके को 7 दिवस के नोटिस पर निरस्त करने का अधिकार नगर निगम कोटा को होगा, निरस्ती से उत्पन्न किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति निगम द्वारा देय नही होगी। तथा ठेके की शेष अवधि हेतु संवेदक की रिस्ट एवं कोस्ट पर कार्य करवाया जावेगा।
29.	न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र कोटा ही होगा।
30.	उक्त कार्य में वार्णित आइटम एक दूसरे से जुडे हुये है अतः इन्हे अलग–अलग संवेदक से संपादित नही करवाया जा सकता है अतः कार्य की प्रकृति को देखते हुये संपूर्ण कार्य में

	जिसकी दरें न्यूनतम होगी उसी संवेदक को प्रथम न्यूनतम दरदाता माना जावेगा।
31	कार्य के लिए ठेकेदार का निम्न योग्यता धारक होना आवश्यक होगा। (1) किसी भी सरकारी/ अर्द्धसरकारी/विभाग में इस प्रकार के कार्य का अनुभव (टेण्डर राशि से 50 प्रतिशत राशि का अनुभव होना आवश्यक है) विभागीय प्रमाण पत्र मय कार्यादेश एवं इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर राजस्थान सरकार से 'ए' क्लास लाईसेन्सधारी, तथा PAN/TIN न. पंजियन। **अथवा** (2) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ई–1 श्रेणी/ई–ई.डब्लू.एस.डी–1 श्रेणी में पंजीकृत व इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर राजस्थान सरकार से 'ए' क्लास लाईसेन्सधारी। तथा PAN/TIN न. पंजियन। उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजो की प्रतिया तकनिकी बिड के साथ अपलोड कराई जावे।
32.	निविदा शुल्क, धरोहर राशि प्रोसेसिंग फीस नगर निगम कोटा के निम्नानुसार बैंक खाते में जमा करवाई जावें, तथा जमा बैंक स्टेटमेन्ट/रसीद की फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड कराई जावें। **बैंक का नाम : पंजाब नेशनल बैंक नगर निगम कोटा** **खाता संख्या : 4148009300000043** **आई.एफ.एस.सी. कोड नं : PUNB-0414800** **अथवा** निविदा भाुल्क,धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस जरिये डी.डी भी दिनांक 30.5.17 को सायं 6 बजे तक अधोहस्ताक्षकर्ता के कर्यालय में जमा कराये जा सकते है, जिसमे निविदा शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी देय 'नगर निगम कोटा ' प्रोसेसिंग फीस का डी.डी देय MD RISLजयपुर के नाम बनाने होगें।
33.	अन्य शर्ते /नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 अनुसार रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता
....

अधिषाशी अभियंता (विद्युत)
नगर निगम कोटा